न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 06/2017 अपील/प्रतापगढ़

पंजीयन दिनांक– 13.04.2017

निर्णय दिनांक– 19.07.2019

1. श्री ऊंकार मुतबन्ना मोत्या मेघवाल निवासी पण्डावा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक लीला पुत्री मोत्या पत्नी मंगलिया मेघवाल निवासी पूंपुरा के बजाय
   - 1.1 श्री मंगलिया पति लीला मेघवाल निवासी पूंजपुरा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
   - 1.2 श्री श्याम लाल उर्फ श्यामा पिता मंगलिया मेघवाल निवासी पूंजपुरा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
   - 1.3 श्री बंशीलाल पिता मंगलिया मेघवाल निवासी पूंजपुरा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
   - 1.4 श्री पंकज पिता मंगलिया मेघवाल निवासी पूंजपुरा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री केशुराम पिता खेमा मेघवाल निवासी कोटडी तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री उदेलाल पिता खेमाजी मेघवाल मेघवाल निवासी पूंजपुरा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार, धरियावद जिला प्रतापगढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री संजय सेन : अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री मनोज अग्रवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3

श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 04/2016 निर्णय दिनांक 06.02.2017

निर्णय

दिनांकः 19.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,

प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 04/2016 निर्णय दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध दिनांक 07.04.2017 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कोटडी तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़ की विवादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट को मोत्या की पत्नी श्रीमती हिरकी द्वारा गोद लिये जाने के बाद भी विवादग्रस्त भूमि उसकी पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या श्रीमती लीला के नाम नामान्तरकरण संख्या 237 से दर्ज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2017 से शपथ–पत्र, ईकरार नामे में उल्लेखित कब्जा काश्त, मेहर अदा करने एवं अन्य शर्तो की पालना संबंधी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए अपीलान्ट विक्रय पत्र शून्य घोषित कराने के सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने के लिये स्वतंत्र है, आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उभय पक्षों की बहस दिनांक 17.07.2019 को सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि हिरकी द्वारा मुझे गोद लिया गया तथा वसीयत भी निष्पादित की गई। पंचायत ने भी उसका प्रमाणिकरण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि गोद लेने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा प्राकृतिक विरासत के स्थान पर वसीयती विरासत के लिये समरी कार्यवाही में निर्णय नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होने से अपील अपास्त की जाये।

हमारे द्वारा उभय पक्ष के कथनोंपकथन, पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह

सुस्पष्ट है कि हिरकी की विरासत का नामान्तरकरण उसकी पुत्री लीला के पक्ष में वर्ष 2014 में दर्ज किया गया है। हिरकी की मृत्यु दिनांक 10.12.2013 को हुई है। प्रकरण में अपीलान्ट हिरकी का उत्तराधिकार उसका गोद पुत्र होने एवं वसीयत होने के आधार पर क्लेम करता है। जहां तक गोद पुत्र का प्रश्न है, इस बाबत् कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे गोद पुत्र होने की विधिकता मानी जा सके। प्रकरण में जहां तक वसीयत का प्रश्न है, हिरकी की मृत्यु वर्ष 2013 में हुई है तथा वसीयत जो कि 20 रूपये के स्टाम्प पर वर्ष 2000 में किये जाने का एक फोटो प्रति पत्रावली के रेकर्ड पर उपलब्ध है। वर्ष 2013 में हिरकी की मृत्यु हो जाने के बाद वर्ष 2014 में उसकी पुत्री के नाम उसकी विरासत दर्ज की गई है, जिसे अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2016 में चुनौती दी गई है, यदि वह अपना वसीयती उत्तराधिकार मानता था एवं बनता था, तो वह वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक, जब पुत्री के नाम विरासत दर्ज हो गई, तो उक्त वसीयत को पेश कर उसके आधार पर अपना वसीयती उत्तराधिकार बताना, प्रथम दृष्टया वसीयत को संदिग्ध बनाता है। वैसे भी नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के स्थान पर संदिग्ध वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण अथवा अधिकार विनिश्चित नहीं किये जा सकते। ऐसे प्रकरणों में वाद के आधार पर ही घोषणा करवाया जाना विधिक होता है।

उपरोक्त विवेचना अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते है तथा यह द्वितीय अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करते है।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल शुमार फैसल हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

Web Copy - Not Official